**सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय**
**लिंक रोड नं. 3, भोपाल – 462016**
**ई-मेल : dir.socialjustice@mp.gov.in**

क्र./VC/428162/I/1167358/2026 दिनांक :16-07-2026

प्रति,

समस्त संयुक्त/उप संचालक,
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,
मध्यप्रदेश।

**विषय :-** दिनांक 08/07/2026 को आयोजित वी.सी. के कार्यवाही विवरण के संबंध में।

--00--

दिनांक 08/07/2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं विभागीय कार्यों की प्रगति की आयुक्त महोदय द्वारा समीक्षा की गई, जिसमें सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय तथा जिलों के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निम्नलिखित निर्देश दिए गए :-

सर्व प्रथम विधानसभा मानसून सत्र के दृष्टिगत समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर एवं अपेक्षित जानकारी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में संचालनालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे विधानसभा प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में तैयार कर शासन को प्रेषित किए जा सकें।

**MP Geoportal पर विभाग अंतर्गत कार्यालयों/संस्थाओं की Mapping एवं Geotagging की समीक्षा।**

- विभाग अंतर्गत संचालित समस्त संभागीय कार्यालय / जिला कार्यालय / शासकीय विशेष विद्यालय / विभागीय मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाएं / जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (DDRC) आदि के भवन जिसमें विशेषकर Latitude (अक्षांश) एवं Longitude (देशांतर) की जानकारी Google Form (https://forms.gle/8mxLeNPLmjLj5Wxz9) में दर्ज कराया जाना था, जिससे कि MP Geoportal पर सही मैपिंग MPSEDC की GIS Team द्वारा की जा सके।
- समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला BHOPAL, SAGAR, GWALIOR, UJJAIN एवं CHHATARPUR में सर्वाधिक संस्थाओं की जानकारी गूगलफार्म में उपलब्ध कराया जाना लंबित है। निर्देशित किया गया कि पूर्व में इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए विभाग अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालयों/संस्थाओं के भवनों की Latitude एवं Longitude की जानकारी Google Form पर यथाशीघ्र दर्ज करना सुनिश्चित करें।

**विभिन्न पोर्टल यथा पेंशन, स्पर्श एवं विवाह पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा एवं विभागीय पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों के Digital Life Certificate (DLC) जारी करने की प्रगति की समीक्षा की गई। :-**

- पेंशन पोर्टल पर निर्णय हेतु लंबित आवेदनों की समीक्षा के दौरान जिला SIDHI, BHIND, GWALIOR, DHAR एवं SATNA में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि स्थानीय निकायों के स्तर पर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण कराया जाए तथा लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। समय-सीमा का पालन न करने वाले संबंधित पदाभिहित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
- पेंशन पोर्टल पर DSC Sign हेतु लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान जिला NARMADAPURAM, SATNA, CHHATARPUR, MAIHAR एवं MANDSAUR में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। निर्देशित किया गया कि आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत होने के तत्काल उपरांत DSC Sign की कार्यवाही पूर्ण की जाए, जिससे पात्र हितग्राहियों को समय पर पेंशन का लाभ प्राप्त हो सके।
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा में जिला SAGAR, DINDORI, MANDLA, KHANDWA एवं INDORE में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को लंबित

प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

- दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जिलाCHHINDWARA, DHAR, MANDSAUR, VIDISHA एवं CHHATARPUR में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार समय-सीमा में स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लंबित प्रकरणों की समीक्षा में जिला RAISEN, CHHATARPUR, CHHINDWARA, UJJAIN एवं PANDHURNA में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। निर्देशित किया गया कि समस्त लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु पात्र दिव्यांग छात्र-छात्राओं के अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर निर्धारित समय-सीमा में उनका निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जिलाSAGAR, VIDISHA, CHHINDWARA, CHHATARPUR एवं KATNI में सर्वाधिक आवेदन लंबित पाए गए। निर्देशित किया गया कि लंबित आवेदनों का समय-सीमा में परीक्षण कर स्वीकृत/अस्वीकृत प्रकरणों पर e-Sign की कार्यवाही पूर्ण करते हुए पात्र हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा भुगतान की प्रविष्टि विवाह पोर्टल पर दर्ज की जाए।
- कन्या विवाह/निकाह योजना अंतर्गत लाभ की जानकारी दर्ज करने हेतु जिलाSAGAR, SATNA, KHANDWA, SHAHDOL एवं BALAGHAT में सर्वाधिक प्रकरण लंबित पाए गए। संबंधित जिलों को निर्देशित किया गया कि विवाह पोर्टल पर लाभ वितरण एवं उपस्थिति/अनुपस्थिति की जानकारी निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। जिन जिलों में समय-सीमा के भीतर प्रविष्टि नहीं हो सकी है, वे कारण सहित कलेक्टर के माध्यम से संचालनालय को प्रतिवेदन प्रेषित करें।
- विभागीय पेंशन योजनाओं के हितग्राहियों के Digital Life Certificate (DLC) जारी करने की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिला MORENA, BHIND, MANDSAUR, BHOPAL एवं DINDORI में DLC पंजीयन की प्रगति अत्यंत कम है तथा बड़ी संख्या में हितग्राहियों काDigital Life Certificate लंबित है। जबकि समय-सीमा 15 जून 2026 निर्धारित की गई थी। अत: समस्त जिलें यथाशीघ्र शेष रहे पेंशन हितग्राहियों को DLC कराना सुनिश्चित करें। तकनीकी समस्या होने पर संचालनालय से प्रेषित Troubleshoot के अनुसार कार्यवाही करें व निराकरण नहीं होने की स्थिति मेंSanction No., स्क्रीनशॉट सहित विस्तृत जानकारी भारत सरकार के ई-मेल आईडी mis-nsap@nic.in पर कार्यालय की शासकीय ई-मेल आईडी से ही मेल करें।
- उपरोक्तानुसार प्रकरणों की समीक्षा उपरांत समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि :-
    - विभागीय योजनायें अत्यंत संवेदनशील है अत: योजनाओं का क्रियान्वयन संवेदनशीलता के साथ किया जाये। जिला एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी प्रतिदिन विभाग के पोर्टलों पर लॉगईन कर उपलब्ध रिपोर्ट की समीक्षा करना सुनिश्चित करें। यदि स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्व कार्यवाही की जाये, अन्यथा प्रगति नहीं आने पर जिला अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

**मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा :-**

- मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई। भोपाल जिले में सर्वाधित 1348 शिकायतें लंबित पाई गई, जिसमें कन्या विवाह योजना की 127, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की 66 शिकायतें लंबित पाई गई। उक्त शिकायतों का तत्काल निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- इसी प्रकार जिला सागर में कल्याणी विवाह की 14 शिकायतें लंबित पाई गई। जिला जबलपुर में दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन की 22 शिकायतें लंबित पाई गई। जिला उमरिया में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना की 13, कन्या विवाह योजना की 28 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की 11 शिकायतें लंबित पाई गई।
- समस्त जिलों को हितग्राही मूलक योजनाओं की शिकायतों के तत्काल निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया।
- विभाग की लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित सेवाओं के प्राप्त समय-सीमा बाहय आवेदनों की समीक्षा की गई एवं तत्काल समय-सीमा बाहय लंबित आवेदनों का निराकरण करवाने के निर्देश दिये गये। मंदसौर, सतना एवं रतलाम जिलों में अधिक संख्या में आवेदन लंबित पाये गये। समस्त जिलों को समय- सीमा बाहय प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये गये। समस्त जिलों को अवगत कराया गया कि वरिष्ठ स्तर से नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अत: नियमित रूप से पोर्टल का अवलोकन कर लंबित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण कराने के निर्देश दिये गये जिससे कोई भी प्रकरण समय सीमा बाहय लंबित ना हो।

| स. क्र. | जिले का नाम | समय-सीमा बाह्य लंबित आवेदन |
|---|---|---|
| 1 | मंदसौर | 7 |
| 2 | सतना | 4 |
| 3 | रतलाम | 4 |
| 4 | नरसिंहपुर | 2 |
| 5 | सिंगरौली | 2 |
| 6 | आगर मालवा | 2 |
| 7 | मऊगंज | 2 |
| 8 | ग्वालियर | 1 |
| 9 | पन्ना | 1 |
| 10 | दमोह | 1 |
| 11 | जबलपुर | 1 |
| 12 | अनुपपुर | 1 |
| | कुल योग | 28 |

**ई-ऑफिस के क्रियान्वयन की समीक्षा :-**

- समीक्षा के दौरान पाया गया कि दिनांक 08.07.2026 की स्थिति में भिण्ड, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, विदिशा, शाजापुर एवं खरगोन जिलों द्वारा पत्र ink sign एवं manual dispatch कर ई-मेल के माध्यम से संचालनालय को प्रेषित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व वीडियो कांफ्रेंस में निर्देशित किया जा चूका है की संचालनालय को समस्त पत्राचार केवल e-Office के माध्यम से CRU को ही प्रेषित किया जाए e-Mail के माध्यम से पत्राचार न किया जाए I
- समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि अनेक जिलों द्वारा e-Office पर प्रेषित पत्रों में Subject अंकित नहीं किया जा रहा है तथा पत्रों के साथ आवश्यक Attachment संलग्न नहीं किए जा रहे हैं अथवा पत्र एवं संलग्नक पृथक-पृथक प्रेषित किए जा रहे हैं। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि e-Office पर पत्र तैयार करते समय Subject, File Number एवं आवश्यक Attachment अनिवार्य रूप से संलग्न करें तथा पत्र एवं संलग्नक एक साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर बोर्ड की समीक्षा :-**

- जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन एवं बैठकों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि 49 जिलों द्वारा बोर्ड के गठन एवं बैठक की जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराई गई है शेष जिले जेसे जिला मऊगंज, मैहर, सीधी, सिंगरौली, पांढुर्णा एवं भिण्ड द्वारा अभी तक जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। संबंधित जिलों को तत्काल बोर्ड का गठन कर बैठक आयोजित करते हुए जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
- माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर में प्रचलित डब्ल्यू.पी. क्रमांक 26658/2025 (श्री विश्वजीत उपाध्याय विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) के संबंध में विभाग द्वारा जारी निर्देश पत्र क्रमांक 1030980 दिनांक 20.05.2026 के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि जिले में भिक्षुक प्रवेश केन्द्र की स्थापना, अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु अशासकीय संस्था का चिन्हांकन तथा भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के संरक्षण एवं पुनर्वास संबंधी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करते हुए अद्यतन जानकारी निर्धारित प्रारूप में संचालनालय को शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

**नशाबंदी कार्यक्रम की समीक्षा :-**

- नशाबंदी कार्यक्रम-2245 योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में जिलों को प्रदाय राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (UC) की समीक्षा की गई। जिन जिलों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, उन्हें शीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र संचालनालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।
- प्रदेश के समस्त जिलों में बनाए गए नशामुक्ति मित्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। निर्देशित किया गया कि

नशामुक्ति मित्रों के पंजीयन एवं गतिविधियों में अपेक्षित प्रगति लाते हुए नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कर उसकी अद्यतन जानकारी संचालनालय को उपलब्ध कराई जाए।

- राज्य स्तरीय NCORD (Narco Coordination Centre) की चतुर्थ बैठक दिनांक 07.05.2026 की कार्यवाही के संबंध में चर्चा की गई। समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिला स्तरीय NCORD की बैठक आयोजित कर संबंधित कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय स्थापित करते हुए 597 चिन्हित नशामुक्त क्षेत्रों की जानकारी तथा नशामुक्ति पुनर्वास केन्द्रों की मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से साझा करना सुनिश्चित करें। साथ ही पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर नशाग्रस्त व्यक्तियों के उपचार एवं पुनर्वास संबंधी कार्यवाही प्रभावी रूप से सुनिश्चित की जाए तथा की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा में संचालनालय को उपलब्ध कराया जाए।

सी.एम., सी. एस. मॉनिट अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में संबंधित को राज्य निधि संचालन के दिशा निर्देश की जानकारी प्रदाय की गई एवं CMHO के माध्यम से आवश्यकता होने पर निरीक्षण कर, प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश प्रदाय किये गये

विभाग अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए Menstrual Hygiene Management (MHM) Corner स्थापित करने के निर्देश दिए गए। समस्त जिलों को निर्देशित किया गया कि विद्यालयों में MHM Corner स्थापित कर छात्राओं हेतु आवश्यक स्वच्छता संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण करें।

मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम , 2013 (यथासंशोधित 2020 एवं 2024) के अंतर्गत दिनांक 25.06.2026 को जारी निर्देश के संबंध में समस्त जिलों को यह निर्देशित किया गया कि निराश्रित निधि की ब्याज एवं मूलधन राशि का व्यय शासन के प्रावधानों एवं जारी निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए ।

**अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई ।**

Digitally signed by
DR SHRAVAN KUMAR PACHAURI
Date: 16-07-2026 11:15:54

(डॉ. श्रवण कुमार पचौरी)
उप संचालक (सामान्य)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)

क्र./VC/428162/I/1167358/2026 दिनांक :16-07-2026

**प्रतिलिपि :**

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
2. निज सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग – सूचनार्थ।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश – सूचनार्थ।
4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत – सूचनार्थ।
5. समस्त अनुभाग प्रभारी, संचालनालय – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
6. समस्त जिला समन्वयक/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी – सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
7. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी– सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।
8. समस्त समग्र संयोजक – सूचनार्थ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित ।

उप संचालक (सामान्य)
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन
सशक्तिकरण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.)